

28/10/25

उपरोक्त पत्र उपर्युक्त वकील करिया ने प्रति.सं. 1/3, 1/4,
2 तथा 4, नं. 8 की कड़ी हेतु सयत पत्रावली कही
उमर है। प्रथम में कड़ी अस्पष्ट दिने जा चुके हैं। कड़ी
आयाव में फावली शी त्वरित पर धारिक की जाती है।
नैज से प्र है।

आदेश सुभाष गणप

182

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GOMS
2023/298

